कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

सरकार जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री जगदीशचन्द्र पिता प्रताप कुमावत निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमंद
2. श्री रमेशचन्द्र पिता प्रताप कुमावत निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमंद
3. श्री गोवर्धन लाल पिता प्रताप कुमावत निवासी तहसील व जिला राजसमंद

– अप्रार्थीगण

केस मुकदमा– प्रार्थना पत्र रेफरेन्स धारा 82 पत्रावली संख्या 129/2012

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनार्थ जारी की गई

दिनांक 21.12.2017

पत्रावली प्रस्तुत हुई। राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार, राजसमंद द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में दिनांक 23.12.2012 को पेश कर यह अनुरोध किया गया कि ग्राम आसोटिया तहसील राजसमंद में स्थित खसरा नं0 979/1 रकबा 26.01 बीघा किस्म नाला में से उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा जरिये आदेश कमांकःराजस्व/कुआ/आवंटन/98/10/2000 दिनांकः 27.05.2000 से अप्रार्थीगण के पक्ष में नियमन किया गया था जो जरिये नामान्तरण संख्या 809 से नवीन खसरा नम्बर 979/1 क के रुप में अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज की गयी जिसका शुद्धि पत्र द्वारा नवीन खसरा नम्बर 979/3 रकबा 0.05 बीघा किस्म आ0चा0 किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन किया गया जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में इसी रुप में अप्रार्थीगण के नाम पर अंकित हैं। उक्त भूमि मूलतः किस्म नदी होने से माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 1536/2003 डी0बी0 सिविल रिट पिटीशन में पारित निर्णयानुसार उक्त 00.05 बीघा नदी भूमि होने से इस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन अथवा खातेदारी/गैर खातेदारी अधिकार के लिये प्रतिबंधित होने से पुनः राजस्व अभिलेख में बिलानाम नाडा दर्ज करवाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 02.08.2004 की पालना में राजस्व स्वामित्व के नदी,नालों,तालाबों,झीलो आदि की दिनांकः 15.08.1947 की स्थिति को बहाल की जानी हैं। उक्त प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार,राजसमंद के द्वारा मूल खसरा नम्बर 979/1 का गत सेटलमेंट में क्या नम्बर था और इसका मूल नम्बर मेवाड़ सेटलमेंट की जमाबंदी में क्या था तथा क्या उसकी किस्म नदी भूमि थी इसकी पुष्टि में न तो भू–प्रबंध विभाग के खसरा पत्रक की प्रति पेश की गयी और न ही मेवाड़ सेटलमेंट की नकल जमाबंदी पेश की गयी जिससे प्रथम दृष्टया दिनांकः 15.08.1947 को उक्त भूमि के किस्म नदी होने की कोई पुष्टि नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यह प्रकट हैं कि प्रार्थी तहसीलदार,राजसमंद के द्वारा अपूर्ण रेफरेंस प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं जो कि अपेक्षित रेकार्ड के अभाव में चलने योग्य नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में हम इस मामले में वादग्रस्त भूमि का वास्तव में नदी भूमि होने के सम्बंध्ध में पुनः जांच कर नये सिरे से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया जाना उचित समझते है।

तहसीलदार, राजसमंद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेन्स को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार, राजसमंद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मामले में अप्रार्थीगण के खाते अंकित भूमि का मिलान खसरा पत्रक एवं मेवाड़ सेटलमेंट की नकल जमाबंदी से पुनः जांच करें एवं जांच में उक्त भूमि दिनांकः 15.08.1947 की स्थिति को किस्म नदी होने की पुष्टि होकर यदि मामला रेफरेन्स योग्य पाया जाता है तो पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र रेफरेन्स तैयार कर विधि अनुसार प्रस्तुत किया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफतर हों।